

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—50 / 2003
 संस्थित दिनांक—27.01.1997

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा, आरक्षी केन्द्र—रूपझर

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—चरनलाल पिता समारूलाल चमार, उम्र 39 वर्ष,
 निवासी—भण्डेरी थाना बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

2—हंसराम पिता समारूलाल चमार, उम्र 37 वर्ष,
 निवासी भण्डेरी थाना बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

देवाजी लुहार पिता साधू लुहार
 निवासी—भण्डेरी थाना बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)। — — — — — मृत आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—02 / 09 / 2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—49/51 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—05.12.1997 को पोलापटपरी तिराहा में अपने आधिपत्य में वन्य पशु तेंदुए का चमड़ा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—05.12.1997 को पुलिस चौकी उकवा के चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि आरोपीगण ने जंगली जानवर तेंदुए की खाल (चमड़ा) को किसी खरीददार को बेचने के उद्देश्य से सौदा तय किया है, जिसे बेचने के लिए पोला परपटी तिराहा रोड गये हैं। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ के साथ वह घटना स्थल पर पहुंचा, जहां पर आरोपीगण तेंदुए की खाल के साथ मिले। आरोपी देवाजी के पास एक थैले में तेंदुए की खाल तथा कुल्हाड़ी रखा हुआ था, आरोपी चरनलाल के हाथ में फरसा तथा आरोपी हंसराम हाथ में बरछी लिये हुए था, जिन्हे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आरोपीगण से उक्त खाल के संबंध में पूछने पर आरोपीगण ने बताया कि नदी किनारे तेंदुआ मरा पड़ा हुआ मिला था, जिसकी खाल को छिलकर बेचने के लिए लाना बताया। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त तेंदुए की खाल को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा चौकी वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में अपराध क्रमांक—0 / 1997 अंतर्गत धारा—49,

51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना रूपझर द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-214/1997, धारा-49, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा तेंदुए की खाल का परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी देवाजी विचारण के दौरान फौत होने से उसके विरुद्ध विचारण समाप्त किया गया। आरोपी चरनलाल एवं हंसराम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-49/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। उक्त आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी चरनलाल एवं हंसराम ने दिनांक-05.12.1997 स्थान पोलापटपरी तिराहा में अपने आधिपत्य में वन्य पशु तेंदुए का चमड़ा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- जप्ती एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर.के.जैसवाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-05.12.1997 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर होते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपीगण के द्वारा जंगली जानवर तेंदुए की खाल बेचते हुए पकड़ने हेतु दबिश देने हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा था, उसके साथ स्टाफ ए.एस.आई. सनोडिया, एस.आई. कुमरे, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक भी गये थे। तीनों आरोपीगण ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। आरोपी देवाजी के पास से एक खाद की बोरी में तेंदुए की खाल और लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी हंसराम से लोहे की बरछी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी चरनलाल से लोहे का फरसा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 से लगायत प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी पतिराम व मैथाजी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था और चौकी वापस आकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट की असल कायमी थाना रूपझर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षण करपेती ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 लेख की थी, जिस पर करपेती के हस्ताक्षर हैं।

5— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण को देखकर भी नहीं पहचान सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुखबिर सूचना मिलने के बाद उसने थाने में रवानगी डाला था, जिसका रोजनामचा पेश किया है। साक्षी ने उक्त रोजनामचा सान्हा की मूल प्रति पेश कर उसे प्रदर्श करते हुए प्रमाणित नहीं किया है, किन्तु चौकी उकवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक अमीलाल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में रोजनामचा सान्हा क्रमांक—160, 161, 163 व 166 की कार्बन प्रति प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 को प्रदर्श कर प्रमाणित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

6— मामले में जप्ती अधिकारी की गई कार्यवाही के समर्थन में अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी पतिराम (अ.सा.1) एवं मेथाजी (अ.सा.2) की साक्ष्य करायी गई, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण की पहचान नहीं की है। इन साक्षीगण ने उनके सामने कथित जप्ती की कार्यवाही किये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

7— शिवनंदनसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक—05.12.1997 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए वह आर.के.जैसवाल सहायक उपनिरीक्षक, आर.के.सनोडिया एवं अन्य कर्मचारियों के साथ रेड करने गया था, मौके पर आरोपी देवाजी के पास से तेंदुए का चमड़ा, कुल्हाड़ी तथा अन्य आरोपी से बरछी व फरसा जप्त की गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि यह साक्षी पुलिस अधिकारी होते हुए रेड पार्टी का सदस्य रहा है तथा साक्षी ने अपने सहायक अधिकारी की विभागीय कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु जप्ती पंचनामा के स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया होने से इस हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

8— डॉक्टर शैलेन्द्र नेमा (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.12.1997 को पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर से एक जप्तशुदा चमड़ा परीक्षण हेतु भेजा गया था, जिनका परीक्षण कर उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। उक्त रिपोर्ट में उक्त जप्तशुदा चमड़ा जंगली जानवर तेंदुए का होना पाया था। उक्त चमड़े में बाल लगे हुए थे तथा काले—पीले रंग के धब्बे लगे हुए थे। उक्त चमड़ा करीब एक माह पुराना पुराना होना प्रतीत हो रहा था। उक्त चमड़ा छिलकर निकाला जाना प्रतीत हो रहा था। साक्षी का कहना है कि उक्त चमड़े की लम्बाई रिपोर्ट देख कर बता सकता है। चमड़े की लम्बाई मुंह से पूंछ तक करीब 70 इंच थी तथा सामने के दोनों पैरों की लम्बाई 36 इंच थी। पिछले दोनों पैरों के बीच की लम्बाई 40 इंच थी। बीच की लम्बाई 19 इंच थी। उसने अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर जप्तशुदा चमड़ा तेंदुए का ही होना पाया था। उसे जांच के समय दो माह का विभागीय अनुभव था।

उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त चमड़े को सीलबंद कर थाना वापस भेजा गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी पद स्थापना दो माह बाद उसने पहली बार चमड़ा का परीक्षण किया था। इस प्रकार साक्षी ने अनुभव व प्रशिक्षण के आधार पर कथित तेंदुए के चमड़े की पहचान कर रिपोर्ट दी है।

9— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में पुलिस अधिकारी के द्वारा कथित मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किये जाने का आधार प्रकट किया है, किन्तु सम्पूर्ण कार्यवाही जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई है। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस कारण मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य अन्य साक्षी की तरह विश्वसनीय मानी जानी चाहिए, किन्तु जहां मामला एकमात्र पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पर निर्भर करता हो वहां ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जांच एवं विवेचना निष्पक्षतापूर्ण एवं संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है। मामले में जप्ती अधिकारी ने स्वयं जप्ती की कार्यवाही के साथ मौके पर घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, स्वयं प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसी दशा में सम्पूर्ण कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन न किये जाने से कार्यवाही निष्पक्षतापूर्ण निष्पादित किया जाना संदेहास्पद हो जाता है।

10— जप्ती अधिकारी आर.के.जैसवाल (अ.सा.6) की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षीगण ने समर्थन नहीं किया है, किन्तु हमराह पुलिस अधिकारी शिवनंदन (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में समर्थन किया है, किन्तु जप्ती पंचनामा में उसके हस्ताक्षर न होने और उसका रेड पार्टी का सदस्य होने से उसकी साक्ष्य हितबद्ध साक्षी के रूप में होना प्रकट होती है, जो विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

11— प्रकरण में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपी देवाजी से कथित तेंदुए का चमड़ा व कुल्हाड़ी जप्त हुई तब उस दशा में अन्य आरोपीगण का आरोपी देवा का उक्त जप्तशुदा सामान के संबंध में अथवा कथित अपराध में किस प्रकार का सहयोग रहा है, इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। मामले में यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि आरोपी चरनलाल एवं हंसराम से मात्र बरछी और फरसा की जप्ती हुई थी तब उस दशा में उक्त जप्तशुदा कथित हथियार के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी चरनलाल एवं हंसराम ने आरोपी देवाजी का आरोपित अपराध में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया था या कथित अपराध में वे सह भागीदार रहे थे। वास्तव में अभियोजन की ओर से मामले में आरोपित अपराध के संबंध में मुख्य रूप से आरोपी देवाजी को अभियोजित किया गया है। मुख्य आरोपी देवाजी प्रकरण के विचारण के दौरान फौत हो चुका है। ऐसी दशा में अन्य आरोपीगण की कथित अपराध में संलिप्ता या सह भागीदारिता के अभाव के कारण अभियोजन का मामला आरोपी चरनलाल एवं हंसराम के विरुद्ध संदेह

से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी चरनलाल एवं हंसराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में वन्य पशु तेंदुए का चमड़ा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा। अतएव आरोपी चरनलाल एवं हंसराम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-49/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पति जंगली जानवर तेंदुए की एक खाल को विधिवत् नष्ट करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे तथा शेष जप्तशुदा सम्पति लोहे की एक कुल्हाड़ी, लोहे का एक फरसा एवं लोहे की एक बरछी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट